न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० द्वितीय फतेहपुर।

उपस्थित– अपर्णा त्रिपाठी एच०जे०एस०

जे०ए०ओ० कोड UP2700

जमानत प्रार्थनापत्र **2492 सन 2022**
CNR-UPFT 01005154 - 2022

अमीरूल हसन उम्र लगभग 43 वर्ष पुत्र जहीर खान, निवासी ग्राम जिगनी थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य . ..... अभियोजक

मुकदमा अपराध संख्या 55 सन 2022
धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम
थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर।

अपराध संख्या 55 सन 2022, धारा - 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिन्दकी जनपद फतेहपर से सम्बन्धित आवेदक/अभियुक्त अमीरूल हसन की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर मैनं आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क विस्तृतरूप से सुन लिया है तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथकर्ता रहीसुल हसन द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक /अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो श्रीमान जी के यहां और न ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप मे अभियोजन का केस यह है कि दिनांक 14-02-2022 को थाना प्रभारी मय हमराही कमर्चारीगण के साथ आगामी विधान सभा चुनाव को दृष्टिगत क्रिटिकल व बल्नेरबुल ग्राम भ्रमण व देखभाल ग्राम आलमगंज में जा रहे थे जैसे ही ग्राम आलमगंज प्राइमरी पाठशाला से पहले तिराहा नाथूखेडा पहुंचे तो मुखबिर खास ने बताया ४ मोटर साइकिलो पर व्यक्ति गोमांस लेकर आलमगंज मे आ रहे है, यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है, इस सूचना पर विश्वास पर हम पुलिस वालो ने मुखबिर खास का विश्वास कर वही पर नाथूखेडा तिराहा पर नहर की आड में छिप गये, थोडी देर बाद चार मोटर साइकिल पर व्यक्ति ग्राम आलमपुर गांव की तरफ से आते हुये दिखायी दिये तभी मुखबिर खास ने बताया साहब ये वही लोग है, जो लोग गोमांस लेकर आ रहे है, इतना कहकर मुखबिर हट बडा गया हम पुलिस वालों के जैसे ही पास मे चार मो० साइकिलो वालो पास व्यक्ति आये वैसे ही हम पुलिस वालो ने नाथू खेडा तिराहा पर घर घार कर चाो मोटर

साइकिल पर जा रहे व्यक्तियों को रोका तो उसमे दो मोटर साइकिल वाले भाग गये और उसमे से दो मो०सा० वाले व्यक्तियों को दबोच लिया गया जिसमे सक एक व्यक्ति भाग निकला जिसमें हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे हम पुलिस वाले बाल-बाल बच गये और ललकार कर फायर करने वाले व्यक्ति को दौडाकर घेर घार कर मौके पर पकड लिया गया, पकडे गये व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम शबलू बताया पूछतांछ के दौरान मोटर साइकिल मे मेरे साथ गोमांस लेकर बैठा राजू है जो मेरा सगा भाई है, जो भाग गया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम फुरकान बताया तथा यह बताया, जिसका मोटर साइकिल नम्बर यू०पी० ३५ई०-१५५३ के बारे मे पूछा गया तो बताया साहब यह मोटर साइकिल मेरे साथ मे काम कर रहे सबलू की है, उसका भाई गुलनाम मेरे साथ प्लास्टिक की बोरी मे मांस की बोरी पकड कर बैठा था । गोमांस के बारे मे पूछा गया कहां से लाये हो तो बताये साहब हमलोग अमीरूल असन निवासी जिगनी थाना बिन्दकी तथा हलीम उर्फ मुल्ला निवासी जिगनी थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर से खरीद कर लाये है, वो दोनो लोग कही जंगल मे गांय काटते है, यह नही पता कहां काटते है, तीसरे व्यक्ति का नाम पूंछते हुये उसने अपना नाम गुलफाम करीब १८ वर्ष बताया। फर्द बरामदगी के आधार पर थाना बिन्दकी मे अपराध संख्या 55 सन 2022 धारा - 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अभियुक्तगण शबलू, फुरकान, गुलफाम, राजू, अमीरूल हसन, हलीम उर्फ मुल्ला व अज्ञात एक व्यक्ति पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना विवेचक द्वारा आरोपपत्र अभियुक्तगण के विरूद्व प्रेषित किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर तर्क प्रस्तुत करते हुए आवेदक /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि आवेदक /अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक के पास से किसी भी प्रकार की कोई भी बरामदगी नही हुयी है, जो भी बरामदगी दिखायी गयी है, वह पूर्णतः फर्जी है। आवेदक अभियुक्त को एक साथ पुलिस ने तीन मुकदमों मे फर्जी फसाने का प्रयास किया है, जबकि आवेदक सीधा साधा ईमानदार व जनप्रिय व्यक्ति है, प्रधानी की चुनावी रंजिश के कारण आवेदक को वर्तमान प्रधान द्वारा पुलिस से साज करके उपरोक्त मुकदमें में फर्जी फंसाया गया है। मुकदमा उपरोक्त मे मौके से पकडे गये अभियुक्तो की जमानत हो चुकी है तथा आवेदक दिनांक २२.०९.२०२२ से जिला कारागार फतेहपुर में निरूद्व है। अतः उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी सहित सम्पूर्ण अभिलेखों एवं गोवध निवारण अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों का परिशीलन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त नामजद है। आवेदक के सह अभियुक्तो के कब्जे से पुलिस पार्टी ने मोटर साइकिलो से प्लास्टिक की बोरी मे गोमांस के साथ मौके से गिरफतार किया गया है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है मामले के तथ्यों परिस्थितयों एवं आवेदक/अभियुक्त की प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्ता को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, उसे जमानत पर छोड़े जाने का समुचित आधार प्रतीत नहीं होता। जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

आवेदक/अभियुक्त अमीरूल हसन का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 21-10-2022

(अपर्णा त्रिपाठी **)**

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०द्वितीय फतेहपुर
फतेहपुर ।